सत्यमेव जयते

खंड ८ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त
सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १२ सितम्बर, १९५५ ।

Vol. VIII No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates
Official Report

Monday, the 12th September 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[Price—Annas 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ सितम्बर १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत नारायण लाल के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

BUNGLING IN THE MUZAFFARPUR GOSHALA.

20. Shri **HARIHAR SHARAN DUTTA**: Will the Minister, in-charge of the Development (Animal Husbandry) Department, be pleased to state—

(1) whether it is a fact that a great bungling has been going on of late in the affairs of the Muzaffarpur Goshala Committee resulting in the awful degeneration of the financial condition of the said Committee;

(2) whether it is a fact that although the Working Committee of the Goshala dissolved itself on 19th January 1954, it illegally brought into play the defunct prior Working Committee and entrusted the entire management to the same;

(3) whether it is a fact that although the Registrar, Bihar Goshalas in his order, dated 22nd April 1955 observed that there was no *bona fide* Committee to manage the affairs of the said Goshala and formed an *Ad hoc* Committee of seven persons for the purpose, the said self-constituted defunct prior Committee has been allowed to continue functioning and the same has been guilty of gross negligence, mismanagement and dereliction of various duties and obligations;

(4) why the Registrar, Bihar Goshalas, has slept over and failed to take any effective steps in the matter so long although the same was referred to him long ago;

(5) (*i*) whether Government have by this time assessed the extent of financial loss suffered by the Muzaffarpur Goshala, (*ii*) what steps, if any, Government are going to take to ensure the proper and efficient running of the Goshala in future?

(५) यदि खंड (४) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्टेशनों पर साइडिंग एकोमोडेशन बढ़ाने की शीघ्र व्यवस्था करा देने का विचार रखती है जिससे नवम्बर से चालू होने पर मिल पूरा-पूरा ऊख ले सके ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। गत वर्ष झंझारपुर और लोहना रोड में क्रमशः ९ हजार मन और ९६ हजार मन ईख की खपत हुई थी। इस वर्ष इन सब-स्टेशनों पर ७२ हजार और २ लाख ७५ हजार मन ईख की खपत होने की संभावना है।

(४) यह बात सही है कि केन कमिश्नर और रेलवे अधिकारी गत वर्ष से ही बातें कर रहे हैं। गत वर्ष सभी ईख सकरी मिल द्वारा ले ली गयी थी और इस साल भी उम्मीद की जाती है कि सभी ईख ले ली जायंगी। ५ सितम्बर १९५५ को रेलवे अधिकारी तथा विभागीय अफसरों की एक मिटिंग मुजफ्फरपुर में हुई थी। उसमें रेलवे अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे लोग इस साल भी ईख लेने के लिये काफी तायदाद में बैगन देने का प्रयास कर रहे हैं और साइडिंग एकोमोडेशन के बढ़ाने पर भी पत्राचार हो रहा है।

(५) उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम सेवक शरण—माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि नवम्बर से मिल चालू होगी उसके सिलसिले में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके लिये कोई तारीख निश्चित हुई है या नहीं ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—तारीख निश्चित नहीं हुई है मगर नवम्बर में मिलें चालू हो जायंगी जैसा कि मिल मालिकों ने कहा है।

श्री राम सेवक शरण—क्या माननीय मंत्री कोई निश्चित तिथि कायम करेंगे ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—पिछले साल के अनुपात में इस साल ईख की फसल ५० प्रतिशत अधिक होने की संभावना है और इस कारण यह प्रयत्न किया जा रहा है कि काफी पहले मिलों को खोला जाय ताकि सभी ईखों की खपत हो जाय।

HOUSING SCHEME.

151. Shri BAIJ NATH SINGH: Will the Minister, in charge of Housing Department, be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the Housing Scheme of Bihar will be on National Scale;

(2) whether Government would like to give statement on the subject in the House?

Shri ABDUL QAIYUM ANSARI : (1) and (2) The reply is in the affirmative. The Housing Scheme of Bihar is in accordance with the Second Five-Year Plan with a purpose to improve the housing condition of the State. The State Government will deal with all housing schemes of the State Government and all the schemes sponsored by the Government of India which may be adopted by the State Government, such as the following :—

Subsidised Industrial Housing Scheme.—Under this scheme financial assistance is available to the following extent for constructing houses for industrial workers :—

(1) to State Government—
Loan—50%
Subsidy—50%.

(2) Co-operative Societies of industrial workers—
Loan—50%.
Subsidy—25%.

(3) to employers—
Loan—37 1/2%.
Subsidy—25%.

In case of Co-operative Societies of industrial workers and employers balance amount is to be found by them.

Loan to State Government will be advanced by Government of India at 4½% in the year 1955-56, and to employers 4¾ and to Co-operative Societies at 4½%. There may be single-roomed or double-roomed tenements at a cost of Rs. 2,700 and Rs. 3,340 respectively. Employer may take the assistance from the Central Government direct also.

Bihar Industrial Housing Scheme.—Under this scheme, the State Government give 50% of the cost of construction of houses as loan at 3% interest recoverable in 25 annual equated instalments and the remaining 50% is found by the employers.

Low-Income Group Housing Scheme.—This scheme is envisaged primarily for persons who do not already own a house and whose income does not exceed Rs. 6,000 per annum. Loan may, however, be advanced to individuals or to Co-operative Societies of individuals of the above income group. The loan this year will be admissible at an interest of 4½% per annum. The maximum loan admissible under this scheme is Rs. 8,000 which should represent 80% of the cost of the building and it is expected that the owners will invest 20% either in shape of materials or as cost of land. This will also be a long term loan. Local Bodies are also entitled to loan under this scheme for their low-paid employees, the assistance being limited to Rs. 2,800 per house. Government may acquire and develop sites to construct houses and sell them to low-income group people also.

Plantation Labour.—In Bihar, there are four tea gardens in Purnea district and two in Ranchi district. Ranchi district does not require any loan for housing scheme. According to this scheme loan assistance will be available for constructing houses at the tea gardens at Rs. 2,000 per house.

Sweepers' Housing Scheme.—This scheme envisages help to different municipalities for construction of houses for the Sweepers.—This scheme still awaits finalisation by the Government of India.

Slum Clearance.—This scheme still awaits finalisation by the Government of India.

Rural Housing Scheme—Provision of environmental hygiene.—This idea is to encourage villagers to have standard windows and doors in their houses which could be supplied at subsidised rates or at cost. Provision of smokeless *chullahs* will also be encouraged. Provision for drainage, lanes, latrines, etc., are also envisaged under this scheme.

Middle-Income Group Housing Scheme.—This scheme, which will be operated by Government in co-operation with insurance companies is still under examination of the Government of India.

Besides the above, the following other Housing Schemes are also being executed in our State :—

(1) *Housing for landless and homeless Harijans.*—These house are being constructed at a cost of about Rs. 800 per house. The beneficiaries are required to contribute 25% of the cost in shape of labour and material. The remaining 75% of the amount is given as free grant.

(2) *Housing for ex-criminal tribes.*—These houses are being constructed by the State at a cost of Rs. 800 per house. 25% of the cost of the house will be contributed by the occupant in shape of labour and material and the remaining 75 % of the amount is given as free grant.

(3) *Housing in flood-affected rural areas.*—This scheme was undertaken during 1954-55, for the construction of houses for landless and homeless Harijans which had been destroyed by floods. Each house costs Rs. 900. It is proposed to continue this scheme on the same basis.

(4) *Co-operative Housing for Government Servants.*—Certain Government servants of Patna have formed a co-operative society, known as Patliputra Co-operative Housing Construction Society, Ltd., with the object of constructing houses for their members. All Government servants are eligible for the membership.

2. Draft rules are still under consideration of the State Government. They have not yet been finalised.

श्री बैजनाथ सिंह—क्या सरकार ने हाउसिंग स्कीम के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—सरकार को ऐसी खबर नहीं है।

श्री बैजनाथ सिंह—क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से या और सभी राज्य से मास्टर प्लान की मांग नहीं की है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—इसकी अभी खबर नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—मास्टर प्लान नहीं है तो कोई स्टुडेंट प्लान है या नहीं? (हंसी।)

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—जो सरकार की ओर से जवाब मिला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या सरकार इसकी (कापी) प्रति सभी सदस्यों को दिलायेगी?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—जी हां, इसकी (कापी) प्रति हम सब सदस्यों को दे देंगे।

Shri JAGANNATH SINGH: Sir, I would like to know the total cost of the multifarious housing schemes and the money earmarked for rural areas and industrial and urban areas separately?

Shri ABDUL QAIYUM ANSARI: As I have already said all these schemes are under the consideration of Government and the rules have not yet been finalised. When they are ready it will be possible to answer this question.

श्री जगन्नाथ सिंह—सरकार ने जो प्लान या स्कीम बनाया है तो उसके लागत का भी कोई एस्टीमेट किया होगा, रफ ही सही?

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि अभी सारी चीज विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो स्कीम भेजी गई होगी वह तो लागत के साथ भी भेजी गई होगी और हर विभाग ने अपना आंकड़ा दिया होगा कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए कितनी जरूरत है और दूसरे के लिए कितनी जरूरत है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—हम समझते हैं रफ फीगर बताने से कोई फायदा नहीं है। जब स्कीम फाइनल हो जायगी तो हम आपको एक प्रति (कॉपी) उसकी देंगे।

श्री विनोदानन्द झा—रांची जिले के चाय बगान के मजदूरों के लिए मकान बनाने की जरूरत नहीं है यह किस आधार पर बतांया गया है, क्या उनके लिए मकान की आवश्यकता नहीं है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—अफसरों की रिपोर्ट है कि ऐसा मालूम होता है कि उनके पास मकान है।

श्री विनोदानन्द झा—क्या किसी लेबर युनियन से राय ली गई थी कि वहां के मजदूरों के लिए मकान की जरूरत है या नहीं?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—यह इन्फोरमेशन मेरे पास नहीं है।

श्री विनोदानन्द झा—क्या सरकार सके औचित्य को समझती है कि जहां अधिकारियों के पास ऐसी चीज है जिसके जरिए सही खबर मिलने को नहीं है, वहां कम से कम मजदूरों की युनियन से पूछा जाय कि उनकी राय क्या है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—फिर से हम पूछ कर मालूम कर लेंगे लेकिन हम समझते हैं कि चूंकि वहां जरूरत नहीं होगी इसलिए ऐसी बात है।

श्री विनोदानन्द झा—दूसरी बात है कि शिड्यूल्ड ट्राइब जो पहाड़ों पर रहते हैं वहां मकान अस्वास्थ्यकर हैं और प्लेन्स में भी जहां वे रहते हैं मकान बहुत ही अस्वास्थ्यकर हैं, उनके लिये भी (जैसे हरिजन आदि) किसी तरह की मदद देने की कोई कल्पना है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—ऐसा तो नहीं है लेकिन जेनरल स्कीम में वे भी आ सकते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—क्या सरकार यह सोचेगी कि जो ऐसे लोग हैं उनकी भी दशा बहुत सोचनीय है और उनको भी हाउसिंग के लिए मदद देने की जरूरत है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—जेनरल स्कीम में और भी हाउसिंग स्कीम हैं।

श्री अनाथ कान्त बसु—पूर्णिया जिला में किन-किन चाय बगानों से इस हाउसिंग स्कीम के लिए ग्रांट की मांग की गई है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—इसके लिए नोटिस चाहिए। अभी कोई स्कीम फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी विचाराधीन है, इसलिए कैसे जवाब दें?

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार यह बता सकती है कि अनुमानतः इंडस्ट्रियल एरियां के मजदूरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में बसनेवाले लोगों के लिए अलग-अलग वह कितना रुपया खर्च करना चाहती है?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—हम ऐसी रकम नहीं बताना चाहते हैं जो सिर्फ अनुमान पर हो। सरकार से ऐसी चीज मालूम करने की कोशिश आप मत कीजिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या सरकार के यह विचाराधीन है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के लिए ज्यादा और शहरी क्षेत्र में कम खर्च किया जाय?

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—अभी इसके विषय में कोई चीज नहीं कही जा सकती जब तक कि यह स्कीम फाइनलाइज नहीं हो जाती है।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

सुपरवाइजरों द्वारा न्याय की मांग।

*४४४। †श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, विकास (सहकारिता) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कुछ ऐसे सुपरवाइजरों ने, जिनकी योग्यता आई० ए० की है, अपने क्लेम सुपरसेसन पर सरकार के पास स्वीकृति-पत्र देकर न्याय की मांग की है;

(२) अगर खंड (१) का उत्तर 'हां' है, तो ऐसे सुपरवाइजर कितने हैं और कौन-कौन हैं, उनकी मांगों पर कौन-सी काररवाई की गयी है तथा क्या फल हुए?

श्री दीप नारायण सिंह—(१) और (२) उत्तर नकारात्मक है। केवल दो सुपरवाइजर, श्री गिरिजानन्दन भारती और श्री अब्दुल खैर अन्सारी, आई० ए० पास हैं। ग्रेडेशन लिस्ट में उनका क्रम संख्या ५४ और ६१ है। अभी तक केवल ४५ क्रम संख्या तक के सुपरवाइजरों का क्लेम इंसपेक्टर के पोस्ट के लिये विचार किया जा सका है। इसलिये सुपरसेशन का प्रश्न नहीं उठता है। इन दो सुपरवाइजरों में से एक सुपरवाइजर श्री गिरिजा नन्दन भारती ने सरकार के पास स्मृतिपत्र दिया था। अभी वह सुपरवाइजर जुनियर है इसलिये इनका स्मृति-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह—सरकार के उत्तर में कहा गया है कि ग्रेडेशन लिस्ट में उन क्रमकी संख्या ५४ और ६१ है, इसका क्या अर्थ है?

†प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह के अनुरोध से उत्तर दिया गया।